(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3501–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–9–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 571/2009–10/निगरानी.

घनश्याम सिंह पुत्र श्री रंधीर सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम अखाई टप्पा तहसील व जिला
अशोकनगर म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

——— अनावेदक

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/05/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार अशोकनगर को आवेदन इस आधार पर दिया कि ग्राम अखाई टप्पा स्थित आराजी कमांक 626 रकवा 0.282 हे0 पर उसका 10–15 साल से निरंतर कब्जा चला आ रहा है व खेती कर रहा है, अतएव व्यवस्थापन किया जावे। नायब तहसीलदार वृत्त 3 कचनार तहसील अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 204/92–93/अ–19 पंजीबद्ध किया एवं जांच उपरांत आदेश दिनांक 18–8–93 से मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर

भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध हरनामसिंह द्वारा अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष दिनांक 1–4–99 को निगरानी प्रस्तुत की गई जिसपर आदेश दिनांक 27–3–2001 से निगरानी समयवाह्य मानकर निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 17–9–2010 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 02–10–1984 के पूर्व से निरंतर कब्जा होने के आधार पर ध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के अन्तग्रत व्यवस्थापन हेतु आवेदन दिया था जिसपर तहसील न्यायालय से प्रकरण कमांक 204/92–93/अ–19 पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत जांच उपरांत आदेश दिनांक 18–8–93 के द्वारा आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश दिया था। ग्राम पंचायत से अभिमत चाहा, ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से अभिमत प्रस्तुत किया, पटवारी से स्थल निरीक्षण चाहा गया। पटवारी द्वारा स्थल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं पटवारी के कथन लिपिवद्ध किये जाकर आवेदक के स्वयं के कथन लिए जाकर स्वतंत्र साक्ष्य लेने के पश्चात विधिवत नियमों का पालन करते हुये कब्जे के आधार पर व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया था। तर्क में यह भी कहा कि हरनामसिंह ने उक्त व्यवस्थापन आदेश को 6 वर्ष पश्चात अपर कलेक्टर के न्यायालय में चुनौती दी थी जबकि उसे इसकी अधिकारिता नहीं थी। किसी प्रकरण में बिना पक्षकार होते हुये उसे वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी कारण अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी निरस्त की जाकर व्यवस्थापन आदेश उचित माना। परन्तु अपर आयुक्त

द्वारा अभिलेख का अवलोकन किये बिना फर्जी शिकायत की जांय कराये बगैर तथा शिकायतकर्ता के कथन कराये बिना दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा बिना आवेदक को व्यक्तिगत सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये व्यवस्थापन आदेश निरस्त करने में अधिकारिता कार्यवाही की है। अपर आयुक्त ने अधिनियम के नियमों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये 17 साल बाद आवेदक के पक्ष में हुये व्यवस्थान आदेश को निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अपर आयुक्त का आदेश उचित हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि–

क्या व्यवस्थापन आदेश में किसी तीसरे व्यक्ति को अपील अथवा निगरानी का अधिकार है या नहीं?

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर 02–10–1984 के पूर्व से निरंतर कब्जा होने एवं खेती करते चले आने के आधार पर आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर नायब तहसीलदार वृत्त 3 कचनार तहसील अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 204/92–93/अ–19 पंजीबद्ध किया एवं जांच उपरांत आदेश दिनांक 18–8–93 से मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया। नायब तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विधिवत साक्षियों के कथन अंकित किये गये हैं पंचनामा तैयार किया गया है। आवेदक

का कब्जा 02–10–1984 के पूर्व का सिद्ध पाये जाने पर ही नायब तहसीलदार ने आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश किया। जिसके विरूद्ध हरनामसिंह, जो कि प्रकरण में पक्षकार नहीं था उसके द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष 6 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने निगरानी अवधि बाह्य मानकर निरस्त की तथा आवेदक के पक्ष में हुये व्यवस्थान को सही पाया। मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत व्यवस्थापन के समय शासन ही पक्षकार था इसलिए हरनामसिंह को निगरानी करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में 1992 आर एन 402 मातादीन तथा एक अन्य विरूद्ध अमरसिंह तथा एक अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"भू–राजस्व संहित, 1959 (म0प्र0) – धारा 50– पुनरीक्षण का अधिकार– म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत कार्यवाहियॉं– राज्य सरकार और भूमि का दावा करने वाले व्यक्ति के बीच हैं–कोई व्यक्ति कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं– ऐसे व्यक्ति को पुनरीक्षण फाइल करने का अधिकार नहीं है।"

इसी प्रकार 2004 आर एन 332 काशीराम तथा अन्य विरूद्ध अमरसिंह तथा अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

" कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 (म0प्र0)– धारा 3––– म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959– धारा 44(1) तथा 50– अधिनियम के अधीन आबंटन आदेश– संहिता के अधीन कोई अपील चलाने योग्य नहीं है– केवल पुनरीक्षण होता है– मामला भूमि के दावेदार तथा राज्य के बीच में है–परव्यक्ति को सुने जाने का अधिकार नहीं है।"

स्पष्ट है कि इस प्रकरण में हरनामसिंह को निगरानी प्रस्तुत करने के अधिकारिता नहीं थी। यदि वह प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन से हितबद्ध था

तब उसे व्यवस्थापन के समय ही आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी, परन्तु उक्त व्यवस्थापन के 6 साल बाल अपर कलेक्टर एवं 10 साल बाद अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी की अधिकारिता हरनामसिंह को नहीं थी। अपर आयुक्त द्वारा भी आवेदक के पक्ष में 17 वर्ष पूर्व हुये व्यवस्थापन को निरस्त कर उसे व्यवस्थापित भूमि से वंचित करने का जो आदेश किया है वह न्यायिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। जहां तक अपर आयुक्त के समक्ष हरनामसिंह द्वारा प्रस्तुत खसरे की प्रति एवं अतिक्रामक के संबंध में काटी गई अर्थदण्ड रसीद की छायाप्रति का प्रश्न है उक्त रसीदों में प्रश्नाधीन सर्वे कमांक 626 का उल्लेख नहीं है, जिससे यह पुष्टि हो सके कि उक्त अर्थदण्ड रसीद प्रश्नाधीन सर्वे कमांक के संबंध में है। अपर आयुक्त द्वारा मात्र रसीद की छायाप्रति के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जाना कि उक्त रसीद प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में ही है, मान्य नहीं किया जा सकता। हरनामसिंह द्वारा प्रस्तुत रसीद एवं खसरों की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त रसदी एवं खसरे वर्ष 80 के पूर्व के हैं। म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के नियम 3(1) में प्रावधानित है कि –

"किसी ग्राम की समस्त दखल रहित भूमि, जो 2 अक्टूबर, 1984 को किसी श्रमिक के कब्जे में हो, कोड में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतविष्ट किसी बात के होते हुये भी, उक्त तारीख से ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमिस्वामी अधिकारों में धारण की जाएगी और वह कोड और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के समस्त प्रयोजनों के लिए उक्त भूमिस्वामी होगा"

स्पष्ट है कि अधिनियम के अनुसार 2 अक्टूबर 1984 को कब्जे की स्थिति में भूमि को ही व्यवस्थापन किये जाने का प्रावधान है। हरनामसिंह द्वारा 02–10–1984 के कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज अपर आयुक्त या किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि हरनाम का प्रश्नाधीन भूमि पर 02–10–1984 को कब्जा था। यदि हरनामसिंह को अधिनियम

के अनुसार पात्रता थी तब उसे तत्समय ही व्यवस्थापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना था अथवा व्यवस्थापन की कार्यवाही में आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार के अभिलेख में संलग्न खसरा पंचशाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने आवेदक के 02–10–1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने पर आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन स्वीकृत किया गया है। चूंकि किसी ग्राम बहुत छोटा होता है और यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित होता है कि तब उसे 6 वर्ष तक व्यवस्थापन की जानकारी न होना एवं 6 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत करना वदनियती प्रकट करता है। इसी कारण हरनामसिंह द्वारा 6 वर्ष पश्चात अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी को समयावधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया। अपर आयुक्त द्वारा मात्र किसी अतिकामक के अर्थदण्ड संबंधी रसीदी के आधार पर आवेदक का 17 वर्ष पूर्व के व्यवस्थापन को निरस्त करने में भी अवैधानिकता की है। अपर आयुक्त द्वारा इन वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किये नायब तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त करने में अवैधानिकता एवं विधि विपरीत कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 17–9–2010 विधि विपरीत होने से निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार वृत्त 3 कचना परगना अशोकनगर का आदेश दिनांक दिनांक 18–8–93 एवं अपर कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 27–3–2001 स्थिर रखे जाते हैं।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर